उत्तराखण्ड शासन
राजस्व विभाग
संख्याः 189/18(1)/2007
दिनांकः 9 मई, 2007
अधिसूचना
प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 230, 294, तथा 344 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तरांचल में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 116–ट एंव 116–ठ का संशोधन

2– उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), के निम्नलिखित स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 116–ट एंव नियम 116–ठ के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम
116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) –शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन–पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथा स्थिति	116–ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) –शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180

सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।	दिन तक वैध रहेगी।
116–ठ जिले के कलैक्टर द्वारा कृषि एंव औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि कय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)–कृषि एंव औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि कय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन पत्र प्रपत्र–ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्रप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एंव कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी, इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) मे दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही कय की जा सकती है।	**116–ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एंव औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि कय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)**–कृषि एंव औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ–पत्र कि कय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन पत्र प्रपत्र–'ख' के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एंव कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) मे दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही कय की जा सकती है।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 189(1)18(1)/2007, dated May, 2007.

Uttarakahnad Shashan
Revenu Department
No.189(1)18(1)/2007
Dated: Dehradun, 9 May, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 230, 294 and 344 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (U.P. Act no.1 of 1904) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904, (as applicable to the State of Uttrakhand and as amended time to time) the Governor is pleased to make the following rules with a view to make certain amendments in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Rules, 1952 (as applicable to the State of Uttarakhand) :-

The Uttarakhand (The Uttar pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (Amendment) Rules, 2007

Short Title and Commencement

1. These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (Amendment) Rules, 2007.

2. They shall come into force at once.

Substitution of Rule 116 –J and 116-K

In the Uttaranchal (Now Uttarakhand) (The Uttar pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (First Amendment) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said Rules) for the existing rule 116-J and rule 116-K set out in column-1, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

116-J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154(4)(3)(a)- A decision on the basis of merit shall taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. If after submitting desired application in Form –A to the Govt, if no orders are passed by the Govt. within 90 days the applicant shall be entitled to purchase the said land on furnishing	**116-J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154(4)(3)(a)-** A decision in accordance with the rules shall be taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. For unreasonable delay in dispoasal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Any sanction issued by

an affidavit. A copy of such affidavit shall be forwarded immediately to the Govt. by Registrar /Sub Registrar. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. Any sanction issued by the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.	the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.
116-K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricutural and horticultural purposes, section 154(4)(3)(b) – An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order on merit allowing or rejecting the application for purchase of land within 90 days from the date of receipt of application. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. From the date of submitting application if no sanction for purchase of land is received within 90 days by the applicant, the applicant can purchase land on furnishing an affidavit to this effect . A copy of such affidavit shall be sent by a Registrar/ Sub-Registrar to the Collector of the district Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.	**116-K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricutural and horticultural purposes, section 154(4)(3)(b)** – An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry of such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order in accordance with the rules allowing or rejecting the application for purchase of land. For unreasonable delay in disposal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.

By Order,

(N.S.Napalchyal)
principal Secretary.